सप्तदश

बिहार विधान सभा

अष्टम सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि $\frac{\text{22 फाल्गुन, 1944 (श०)}}{\text{13 मार्च, 2023 (ई०)}}$

प्रश्नों की कुल संख्या 05

(1)	वित्त विभाग	-	-	01
(2)	गृह विभाग	-	-	03
(3)	उद्योग विभाग	-	-	01
			कुल योग --	05

कार्रवाई करना

'अ'-19. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 7 फरवरी, 2023 के अंक में छपी खबर के शीर्षक "केन्द्रीय करों में समय पर हिस्सा नहीं, अपनी रिकवरी भी कमजोर" के आलोक में क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में नवम्बर, 2022 तक राज्य को केन्द्रीय करों से 31 प्रतिशत की ही हिस्सेदारी मिली है और राज्य के अपने राजस्व से मात्र 45 प्रतिशत ही प्राप्त हुआ है तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में ऋण की राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार के राजस्व में कमी और केन्द्रीय सहायता में कटौती के कारण राज्य की योजनाओं को पूरा करने में अभी कठिनाइयाँ हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य के राजस्व में वृद्धि के लिये कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक है । वित्तीय वर्ष 2022-23 में केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा के रूप में माह नवम्बर, 2022 तक 55,430.04 करोड़ रुपये राशि प्राप्त हुई है जो बजट प्राक्कलन 91,180.60 करोड़ रुपये का 60.79 प्रतिशत है ।

राज्य के अपने राजस्व (कर एवं गैर-कर) से माह नवम्बर, 2022 तक 27,505.44 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है जो कि बजट प्राक्कलन 47,522.62 करोड़ रुपये का 57.88 प्रतिशत है ।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल लोक ऋण (वास्तविकी) 40,444.90 करोड़ रुपये थी जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में 40,755.88 करोड़ रुपये अनुमानित है । इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में 2022-23 में कुल लोक ऋण में 0.77 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है ।

(2) अस्वीकारात्मक है । राज्य सरकार का राजस्व प्राप्ति वित्तीय वर्ष 2020-21 (वास्तविकी) में 1,28,168.35 करोड़ रुपये थी जो वित्तीय वर्ष 2021-22 (वास्तविकी) में 23.90 प्रतिशत बढ़कर 1,58,797.33 करोड़ रुपये हो गई । इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2021-22 के वास्तविकी की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्व प्राप्ति 1,96,704.51 करोड़ रुपये अनुमानित है, यह अनुमानित वृद्धि 23.87 प्रतिशत है ।

केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2020-21 (वास्तविकी) 31,763.88 करोड़ रुपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 (वास्तविकी) 28,605.83 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई जो वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत कम है ।

केन्द्रीय सहायता में कमी के कारण योजनाओं को चालू रखने के लिये राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से इसे पूरा करना पड़ता है तथापि राज्य सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण योजनाओं का संचालन सफलतापूर्वक किया जा रहा है ।

(3) उपरोक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

कार्रवाई करना

'क'-28. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 के अंक में प्रकाशित शीर्षक "चरित्र प्रमाण-पत्र के 50 प्रतिशत मामले लम्बित अपील की मिलेगी सुविधा" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में वर्ष 2022 में 10 लाख 98 हजार चरित्र प्रमाण-पत्र का आवेदन आया था, जिसमें मात्र 50 फीसदी ही स्वीकृत हुआ और शेष आवेदन कई माह से अभीतक लम्बित है और एक लाख आवेदन निरस्त भी हो गया है जिसके कारण युवा वर्ग नौकरी के लिये आवेदन करने से वंचित रह गया है, जबकि सात दिनों में आवेदक को चरित्र प्रमाण-पत्र देने का प्रावधान है, यदि हाँ, तो क्या सरकार चरित्र प्रमाण-पत्र ससमय स्वीकृत कराने और अकारण विलम्ब करने वाले दोषी कर्मचारियों को चिह्नित कर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट--'अ'-दिनांक 3 मार्च, 2023 को सदन द्वारा योजना एवं विकास विभाग से वित्त विभाग में स्थानान्तरित ।

'क'-सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक 128, दिनांक 22 फरवरी, 2023 द्वारा गृह विभाग में स्थानान्तरित एवं दिनांक 6 मार्च, 2023 को सदन द्वारा स्थगित ।

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में वर्ष 2022 में 11 लाख 60 हजार 725 चरित्र प्रमाण-पत्र का आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें मात्र 2,924 (दो हजार नौ सौ चौबीस) आवेदन निष्पादन हेतु लम्बित है एवं शेष आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है ।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या 1353, दिनांक 3 मई, 2012 द्वारा अधिसूचित बिहार लोक सेवाओं का अधिकार नियमावली, 2011 के अनुसार गृह विभाग के अन्तर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु प्राप्त आवेदन के निष्पादन का समय-सीमा पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में आवेदन प्राप्ति से 14 कार्य दिवस है ।

गृह विभाग एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा जिलों में प्राप्त आवेदनों का ससमय निष्पादन करने के संबंध में समय-समय पर अनुश्रवण किया जाता रहा है, जिसके कारण प्राप्त आवेदनों के संख्या के अनुपात में काफी कम संख्या में आवेदन निष्पादन हेतु लम्बित है, जिसको निष्पादित कराने हेतु कार्रवाई की जा रही है ।

कानून बनाना

43. श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-9 सिकटा)--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 26 दिसम्बर, 2022 को प्रकाशित शीर्षक "बिहार फाउंडेशन के कई विदेशी चैप्टर निष्क्रिय" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार फाउंडेशन के कई विदेशी चैप्टर निष्क्रिय हो गये हैं, इसमें संयुक्त अरब अमीरात, सउदी अरब, कतर एवं आस्ट्रेलिया में संचालित बिहार फाउंडेशन के चैप्टर शामिल है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार फाउंडेशन के विदेशी चैप्टर के निष्क्रियता के कारण प्रवासी बिहारियों को किसी दुर्घटना में मौत होने पर शव को गृह क्षेत्र संख्या भेजने और अन्य मामलों में काफी परेशानी झेलनी पड़ती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नये सिरे से पदाधिकारियों का चयन, कार्यालय और इनके संदर्भ में नियम कानून बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक । बिहार फाउन्डेशन के मौजूदा प्रावधान के तहत सभी चैप्टर्स के लिये बिहार फाउन्डेशन के वेबसाईट में न्यूनतम 50 प्रवासी बिहारियों के पंजीकरण की अनिवार्यता निर्धारित है ।

वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात, सउदी अरब, कतर एवं आस्ट्रेलिया में क्रमशः 130, 133, 53 एवं 78 पंजीकृत सदस्य है ।

(2) अस्वीकारात्मक । विदेश में प्रवासी बिहारियों के दुर्घटना में मौत होने की स्थिति में चैप्टर एवं वहाँ स्थित दूतावास के सहयोग से उनके शव को भेजे जाने की कार्रवाई की जाती है ।

(3) बिहार फाउंडेशन के वैसे चैप्टर जहाँ कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष, सचिव सहित अन्य सदस्यों का पद रिक्त है, वहाँ नये सिरे से कार्यकारिणी समिति के गठन की प्रक्रिया की जानी है ।

कानून बनाना

44. श्री जितेश कुमार (क्षेत्र संख्या-87 जाले)--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 9 नवम्बर, 2022 को प्रकाशित शीर्षक "लफंगों के भय से छात्राएं छोड़ रही स्कूल शिकायत के बाद भी नहीं मिल रही सुरक्षा" के संदर्भ में क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला के बापू स्मारक कन्या मध्य विद्यालय तथा नवीन कन्या मध्य विद्यालय, मछुआ टोली में 50 प्रतिशत छात्राओं ने असामाजिक तत्वों के द्वारा परेशान किये जाने के कारण अपना नाम विद्यालय से कटवा लिया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इस संबंध में स्कूल प्रशासन ने सुरक्षा के लिये संबंधित थाना में छः माह पूर्व शिकायत भी दर्ज करायी है, किन्तु अभीतक कोई कार्रवाई नहीं की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों में अध्यनरत छात्राओं के साथ-साथ शिक्षिकाओं को विद्यालय सुरक्षित रूप से आने-जाने के लिये समुचित कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

45. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-194 आरा)--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 29 जनवरी, 2023 को प्रकाशित शीर्षक "पुलिस की सुस्ती से बढ़ रही लम्बित मुकदमों की संख्या" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में पुलिस द्वारा भगोड़े अपराधियों को नहीं पकड़ना एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने तथा गवाहों को सुरक्षा नहीं देने एवं कोर्ट में उनकी उपस्थिति नहीं होने के कारण राज्य में 29 लाख से अधिक मामले लम्बित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि लम्बित मुकदमों के कारण अपराधियों के मंसूबों को मजबूती मिल रही है एवं राज्य में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कार्य में शिथिलता बरतने वाले पुलिस पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 13 मार्च, 2023 (ई0) ।

पवन कुमार पाण्डेय,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

बि0स0मु0, 81(एल0ए0), 2022-23-डी0टी0पी0-550